जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 21 संख्याः 189 प्रभात जालोर, गुरूवार 15 अक्टूबर, 2026 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'अमेरिका में मोदी विरोधी लोग दीपके और सीजेपी को "फण्ड" कर रहे हैं'

अमेरिकन सिंगर मेरी मिलीबेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया, हालांकि, उन्होंने फंड करने वालों के नाम नहीं बताए

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। अमेरिका में रहने वाले कुछ दानदाताओं द्वारा अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को पैसा देने के आरोप ने भारत में असहमति, विदेशी दखल और राजनीतिक आंदोलनों की फंडिंग को लेकर चल रही बहस में एक संवेदनशील मुद्दा खड़ा कर दिया है। अगर यह दावा सही साबित होता है, तो देश के भीतर राजनीतिक गतिविधियों में बाहरी लोगों की भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। तथापि, खतरा यह है कि दस्तावेजी सबूतों के बिना यह गंभीर आरोप सिर्फ एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव बनकर रह जाएगा, जिसे साबित करने वाले तथ्य मौजूद नहीं हैं।

अमेरिकी गायिका और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की समर्थक मैरी मिलबेन ने सोशल मीडिया पर यह आरोप लगाया कि मोदी का विरोध करने वाले अमेरिका के कुछ दानदाता दीपके और सीजेपी को पैसा दे रहे हैं, ताकि भारत में शासन व्यवस्था को बाधित किया जा सके। हालांकि, इस विवाद पर अब तक सामने आई सार्वजनिक रिपोर्टों में कथित दानदाताओं की पहचान, दी गई रकम या ऐसे किसी भरोसेमंद वित्तीय लेन-देन का पता नहीं चला है, जो उन्हें इस आंदोलन से जोड़ता हो।

राजनीतिक रूप से यह अंतर मायने रखता है। अगर किसी घरेलू संगठन को विदेश से फंडिंग मिलने की बात साबित होती है, तो उसके पैसों के स्रोत, कानूनी स्थिति और लागू नियमों के पालन की जांच हो सकती है। लेकिन किसी विदेशी सरकार की भागीदारी या बाहर से चलाए जा रहे राजनीतिक अभियान का आरोप साबित करने के लिए अतिरिक्त सबूत जरूरी हैं। केवल निजी विदेशी चंदे से ये बातें अपने आप साबित नहीं हो जातीं।

दीपके ने आंदोलन की फंडिंग के बारे में अलग बात कही है। 10 अक्टूबर को प्रकाशित लोकसत्ता के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे और उनके दोस्त, जिनमें आशुतोष रांका भी शामिल हैं, पैसे का योगदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद, क्राउडफंडिंग, यानी आम लोगों से छोटे-छोटे योगदान लेकर पैसा जुटाने की योजना है। उन्होंने कहा, शुरुआती विरोध प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने व्यावहारिक मदद दी थी।

इन बातों से आंदोलन के लिए पैसों के कम से कम कुछ स्रोतों की जानकारी मिलती है। लेकिन इससे उसके पूरे वित्तीय हिसाब का पता नहीं चलता और न ही यह पूरी तरह साबित होता है कि उसे किसी अन्य स्रोत से पैसा नहीं मिला।

14 अक्टूबर को दीपके ने मिलबेन के दखल पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीयों को अपने देश के राजनीतिक मतभेदों को बिना बाहरी दखल के सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। उनके जवाब ने इस बात की ओर ध्यान खींचा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अमेरिकन सिंगर के इस दावे के बाद भारत में विदेशी फंडिंग के मुद्दे पर भारी बहस छिड़ गई। हालांकि, दीपके ने पूर्व में कहा था कि वे और आशुतोष रांका आर्थिक योगदान देते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सीजेपी के रजिस्ट्रेशन की कोशिश चल रही है और फिर वे क्राउड फंडिंग से धन जुटाएंगे।
- हालांकि, अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित होता हो कि सीजेपी को विदेशी फंडिंग मिल रही है, फिलहाल यह मुद्दा आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित लग रहा है।

अदालती आदेश के बाद भी नीट आयुष काउंसलिंग में शामिल नहीं किया

जयपुर, 14 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने, अदालती आदेश के बावजूद, याचिकाकर्ता को नीट आयुष काउंसलिंग-2026 में शामिल नहीं करने पर नीट आयुष काउंसलिंग चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। इसके साथ ही, अदालत ने चेयरमैन को 16 नवंबर को शपथ पत्र पेश कर यह भी बताने के लिए कहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के 24 सितंबर के आदेश की पालना में याचिकाकर्ता की काउंसलिंग और दस्तावेजों का सत्यापन किया या नहीं। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने ये आदेश प्रणवेन्द्र गुर्जर की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता ने बीएएमएस में प्रवेश के लिए नीट आयुष काउंसलिंग 2026 में रजिस्ट्रेशन करवाया था। नीट आयुष काउंसलिंग में प्रवेश के लिए एक वर्ग एनआरआई के बराबर फीस जमा कराने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए था। इसमें एनआरआई अभ्यर्थी के नहीं आने पर आयुष के लिए प्रवेश दिया जाना था। हर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हाई कोर्ट ने नीट आयुष काउंसलिंग चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी किया।

'ब्रिक्स समिट से दूर रह कर बड़ा मौका गंवा दिया बाँग्लादेश ने'

बाँग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्तमान प्रधानमंत्री की राजनैतिक परिपक्वता पर सवाल उठाए

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। पिछले महीने भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस कदम को अपरिपक्व बताते हुए कहा है कि इससे उनके देश के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा है।

इस साल की शुरुआत में सत्ता संभालने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेतृत्व वाली सरकार के प्रमुख रहमान ने भारत की ओर से निमंत्रण दिए जाने के बावजूद 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ढाका का कहना था कि निमंत्रण रहमान को बिम्सटेक के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में दिया गया था, न कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर। बांग्लादेश चाहता था कि रहमान की पहली भारत यात्रा बहुपक्षीय सम्मेलन के बजाय द्विपक्षीय हो। भारत ने इसके जवाब में कहा कि रहमान को द्विपक्षीय बातचीत और ब्रिक्स के आउटरीच सत्र, दोनों के लिए अलग-अलग निमंत्रण दिए गए थे। अंततः बांग्लादेश ने सम्मेलन में अपना कोई आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजा।

एक समाचार एजेंसी को हाल ही में दिए साक्षात्कार में हसीना ने कहा कि बांग्लादेश ने आर्थिक और सामाजिक विकास के कई महत्वपूर्ण अवसर गंवा दिए। उन्होंने कहा, ब्रिक्स केवल एक कूटनीतिक बैठक नहीं है। इसमें प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आती हैं और व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी तथा विकास के क्षेत्रों में सहयोग के अवसर पैदा होते हैं। इसमें भाग लेकर बांग्लादेश मूल्यवान अनुभव हासिल कर सकता था और नए अवसरों के द्वार खोल सकता था... वह अवसर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हालांकि, बाँग्लादेश की ओर से कहा गया है कि रहमान को बाँग्लादेश के प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं बुलाया गया था, इसके अलावा वे पहली भारत यात्रा बहुपक्षीय समिट के बजाय द्विपक्षीय वार्ता के लिए करना चाहते थे।
- लेकिन चर्चा है कि असल में नई दिल्ली में शेख हसीना की मौजूदगी की वजह से वे समिट में शामिल नहीं हुए।
- शेख हसीना ने रहमान के इस फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि इससे बाँग्लादेश को नुकसान होगा। इसी के साथ उन्होंने दिसम्बर में स्वदेश वापसी की घोषणा की।

एयर फ्रांस ने इज़रायल की उड़ानों से पाकिस्तानी पायलटों को हटाया

इज़रायल ने उन देशों के विमानन कर्मचारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए है, जिनसे उसके कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं, इसलिए एयर फ्रांस ने यह फैसला लिया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। एयर फ्रांस ने पाकिस्तानी पायलटों और चालक दल के सदस्यों को इज़रायल आने-जाने वाली उड़ानों में ड्यूटी करने से रोक दिया है। यह कदम यहूदी देश इज़रायल द्वारा उन देशों के एयरलाइन क्रू के लिए प्रतिबंध सख्त करने के बाद उठाया गया है, जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध नहीं हैं। यह फैसला 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की एक उड़ान में ओमान के सह-पायलट द्वारा कथित तौर पर आतंकवादी हमला करने की कोशिश के बाद लिया गया है। ओमान उन देशों में शामिल है, जिनके इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- एयर फ्रांस ने पाकिस्तान सहित 31 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों के नागरिकों को इज़रायल की उड़ानों में तैनात नहीं किया जाएगा।
- इसी के साथ शिकागो की यूनाइटेड एयरलाइन्स ने भी अपने पायलटों को इज़रायल द्वारा लगाए गए राष्ट्रीयता आधारित प्रतिबंधों की जानकारी अपने स्टाफ को दी।
- चैक रिपब्लिक की एयरलाइन स्मार्टविंग्स ने भी इज़रायल के प्रतिबंध लागू करने की पुष्टि की।

वाहनों पर काली फिल्म व रंगीन शीशे क्यों लगे हैं?

जयपुर, 14 अक्टूबर। ने रोक के बावजूद प्रदेश की सड़कों पर चल रहे वाहनों पर काली फिल्म और रंगीन शीशे लगे होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, परिवहन विभाग के सचिव, परिवहन आयुक्त व डीजीपी को पक्षकार बनाया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश एक डेथ रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर दिए। अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन को कहा कि वह इस मामले को सीजे के समक्ष रखे, ताकि इसे जनहित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- बार एसोसिएशन सदस्यों ने हाई कोर्ट से कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है।

हाइजैक अलर्ट के बाद एयर इंडिया विमान जयपुर डायवर्ट

जाँच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, विमान को दोपहर 2:24 बजे दिल्ली रवाना कर दिया गया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान को बुधवार सुबह, हाईजैक अलर्ट मिलने के बाद, जयपुर डायवर्ट कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार, हवाई अड्डा अधिकारियों ने हाईजैक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली उच्चतम स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की।

बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान, उड़ान संख्या 2030, सुबह 9.45 बजे, अपने निर्धारित गंतव्य दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर, जयपुर में सुरक्षित उतर गया। विमान के जमीन पर उतरने के बाद अधिकारियों ने सावधानी बरतते हुए उसके पास पहुंचकर यात्रियों के उतरने के लिए सीढ़ियां लगवाईं।

अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान की पूरी तरह जांच किए जाने के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतरने की अनुमति दी गई। एयरलाइन ने बुधवार को पहले बताया था कि यात्रियों को यात्रा की तारीख बदलने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विकल्प या टिकट रद्द करने की स्थिति में पूरा रिफंड देने की पेशकश की गई।

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को विमान से कुछ सेकंड के लिए स्क्वॉक-7500 कोड का संकेत मिला था। विमानन क्षेत्र में इस कोड का इस्तेमाल हाईजैक की स्थिति का संकेत देने के लिए किया जाता है। इसके बाद एटीसी ने जयपुर सहित, संबंधित एजेंसियों को सूचना दी। सुबह करीब 9:10 बजे विमान का मार्ग बदलकर जयपुर की ओर कर दिया गया और 9:45 बजे इसकी लैंडिंग कराई गई।

विमान उतरने के बाद, उसे पार्किंग क्षेत्र से दूर आइसोलेशन-बे में रखा गया। एयरपोर्ट पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) सहित, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। विमान में सवार करीब 300

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- एयर इंडिया की फ्लाईट एआई2030 (बोइंग 787 ड्रीमलाइनर) को सुबह 9:45 बजे जयपुर हवाई अड्डे पर उतारा गया।
- विमान को आइसोलेशन में रखा गया। विमान में 300 यात्री सवार थे।
- सूत्रों का कहना है कि तकनीकी खराबी से अलर्ट का बटन दब गया था, इसकी वजह से हाईजैक का संदेश अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुँचा जिसके बाद विमान को जयपुर डायवर्ट किया गया।

'तिरंगे के साथ कनॉट प्लेस के सेन्ट्रल पार्क में 16 को इकट्ठे हों'

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने लोगों से 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम को इकट्ठा होने और साथ में तिरंगा लाने की अपील की है। उनका यह बयान सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के बाद आया है। सीजेपी का आरोप है कि दोनों को जंतर मंतर में तिरंगा लहराने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है।

दीपके आज सुबह दिल्ली पहुंचे और शाम को उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से यह अपील की। उन्होंने कहा कि उनके साथियों को तिरंगा लहराने के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सीजेपी के अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील की।

शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कराने का आरोप लगाया

बदले में कांग्रेस ने अमित शाह से एसआईआर पर पूछे तीन सवाल

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सव रिविजन-एसआईआर) को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है। शाह एसआईआर का बचाव कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जनता द्वारा बार-बार नकारे जाने के बाद, विपक्षी दल घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाह रहा है। इसके जवाब में कांग्रेस ने उनसे तीन सवाल पूछे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, "एसआईआर का लगातार बचाव कर रहे केन्द्रीय गृह मंत्री से तीन बेहद सरल और सीधे सवाल हैं। कितने घुसपैठियों की पहचान की गई है? कितने घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं? कितने घुसपैठियों को देश से बाहर भेजा गया है?"

मंगलवार को केन्द्रीय गृह मंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूचियों के एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था।

शाह ने पत्रकारों से कहा था, "मैं राहुल जी और उनके साथियों से कहना चाहता हूं कि वे 2029 में एक बार फिर करारी हार का सामना करने के लिए तैयार रहें। 2029 के आम चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा और कांग्रेस लगातार चौथी बार हार का सामना करेगी।"

उन्होंने कहा था, "इस देश की जनता नरेन्द्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। आप इस सच्चाई को नकार नहीं सकते।"

शाह ने कहा कि भारत की जनता "घुसपैठियों के नाम मतदाता के रूप में दर्ज कराए जाने" की राहुल गांधी की योजनाओं को जानती है।

उन्होंने कहा था, "मैं राहुल गांधी जी से सीधे पूछना चाहता हूं: क्या यह एसआईआर का नतीजा है? एसआईआर की शुरुआत तो 2024 के बाद ही हुई है।"

शाह ने कहा, "जब से आप कांग्रेस के प्रमुख नेता बने, फिर पार्टी अध्यक्ष बने और अब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तब से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। आपको आत्ममंथन करना चाहिए। मनगढ़ंत मीडिया कार्यक्रमों और झूठ को बार-बार दोहराने से आप देश की जनता का भरोसा नहीं जीत सकते।"

इसके जवाब में कांग्रेस ने गृह मंत्री से पूरे मामले का ब्योरा देने की मांग की।

रमेश ने लिखा, "सौ करोड़ भारतीयों को एसआईआर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। उन्हें इसके नतीजों के बारे में जानने का पूरा अधिकार है।"

उन्होंने कहा, "सच्चाई यह है कि "शाह इन्स्टीगेटेड रिमूवल" (एसआईआर) के सूत्रधार बार-बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर, असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हताश जोड़ी ने करीब 14 करोड़ भारतीयों को वोट देने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया है।"

रमेश ने आगे कहा, "क्या गृह मंत्री यह कहना चाहते हैं कि ये 14 करोड़ भारतीय घुसपैठिए हैं? क्या गृह मंत्री के रूप में उनकी असावधानी से देश में घुसपैठियों की संख्या में इतनी भारी बढ़ोतरी हुई है?"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी तरह हमला बोला।

खड़गे ने लिखा, "गृह मंत्री द्वारा एसआईआर से बाहर किये गए 13.3 करोड़ भारतीयों को 'घुसपैठिया' बताना भारतीयता का अपमान है।"

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कांग्रेस ने पूछा, कितने घुसपैठियों की पहचान हुई, कितनों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और कितने घुसपैठियों को देश से बाहर भेजा गया है?
- शाह ने दावा किया कि 2029 का चुनाव भी एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा।
- कांग्रेस ने 14 करोड़ भारतीयों को एसआईआर द्वारा वोटर लिस्ट से हटाने की आलोचना की और पूछा, क्या गृह मंत्री यह कहना चाहते हैं कि 14 करोड़ भारतीय घुसपैठिए हैं।

नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान व साहिल को मृत्युदंड

मेरठ, 14 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को फांसी की सजा सुनाई। लगभग 13 माह चली इस सुनवाई में 22 गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया। अपने गुनाहों की सजा पाये जाने पर दोनों की आंखों में आंसू आ गए।

जिला कारागार से बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों की पेशी हुई। कोर्ट ने सजा सुनाने से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मेरठ के इस चर्चित हत्यांकांड की सुनवाई 13 माह चली।